रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 582] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 1971/अग्रहायण 8, 1893

No. 582] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 1971/AGRAHAYANA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDA

INCOME-TAX

New Delhi, the 29th November 1971

S.O. 5249.—In the Income-tax (Second Amendment) Rules, 1971, published with the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S.O. 1997, dated the 11th May, 1971, at pages 2149-2153 of the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th May, 1971,—

(1) at page 2149,—

(i) in line 0[, *for* [Medical Research" the] *read* [Medical Research", the];

(ii) in line 18,

(a) *for* "(30), of section 10." *read* "(30) of section 10";

(b) *for* 'income." *read* 'income.';

(2) at page 2150,—

(i) in line 1, *for* "." *read* "," after the word 'death';

(ii) in line 9, *for* "." *read* "," after the word 'nomination';

(iii) in line 28, *for* "." *read* "," after the word 'parents';

(iv) in line 30, *for* "." *read* "," after '(ii)';

(v) in line 47, *for* "rules the" *read* "rules the";

(3) at page 2151,—

(i) in line 1, *for* "nomination the" *read* "nomination, the";

(ii) in line 11, *for* "." *read* "," after the words 'may' and 'time';

(iii) at the end of the page,—

for

"I hereby nominate the person(s) mentioned below to receive the— *amount that may stand *amount that may stand to my credit in the provident fund/ *amount of gratuity "

in the event of my death before that

read

"I hereby nominate the person(s) mentioned below to receive the to receive the *amount that may stand to my credit *amount of gratuity *amount of gratuity

in the event of my death before that";

(4) at page 2152,—

(i) *insert* a horizontal line after the gap below line 11 and before "*1";

(ii) in line 14, *for* "are" *read* "(are)"

(iii) in line 23, *omit* "/" after the word "entries";

(iv) at the end of the page,—

for

"I,....., hereby cancel the nomination made by me previously as regards the sdposal of hte *amount that may stand to my Credit in the provident fund *amount of gratuity

in the event of my death and hereby nomnaf the person(s) mentioned below to receive the *amount that may stand to my credit in the provident fund in the *amount of gratuity

event of my death before"

read

"I,....., hereby cancel the nomination made by me previously as regards the disposal of the

*amount that may stand to my credit in the provident fund *amount of gratuity in the event of my death

and hereby nominate the person(s) mentioned below to receive the *amount that may stand to my credit in the provident fund *amount of gratuity

in the event of my death before";

(5) at page 2153,—

(i) in line 2, *for* "aid" *read* "said";

(ii) in line 6, *for* "with employee" *read* "with the employee";

(iii) in line 16, *for* "/are/" *read* "(are)";

(iv) in line 30 (last line of the notification), *insert* "." after the word 'death';

(v) *insert* "R. R. Khosla, Secretary." below the file number but before 'Explanatory Memorandum.

[No. 334/F. No. 133(82)/70-TPL.]

R. R. KHOSLA, Secy.,
Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

शुद्धि-पत्र

आयकर

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1971

एस० ओ० 5250.—शुक्रवार, 14 मई, 1971 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 11-5-1971 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1997, में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :—

(1) पैराग्राफ 2 की पहली पंक्ति में "मल" के स्थान पर "मूल" पढ़ा जायगा ।

(2) पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ की पहली पंक्ति में "साहधियकी" के स्थान पर "साहाधियकी" पढ़ा जायगा ।

(3) पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (2) की दूसरी पंक्ति में "नाम-निदशन" के स्थान पर "नाम-निर्देशन पढ़ा जायगा ।

(4) उसी पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (3) की पहली पंक्ति में " निदशन" के स्थान पर "निर्देशन " पढ़ा जायगा ।

(5) पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (1) की तीसरी पंक्ति में " ोने" के स्थान पर "होने" और "यय" के स्थान पर "या" पढ़ा जायगा ।

(6) उसी पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (2) की पहली पंक्ति में "उपनियमम" के स्थान पर 'उपनियम" पढ़ा जायगा ।

(7) उसी पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (4) की दूसरी पंक्ति में "तदपश्चत्" के स्थान पर "तत्पश्चात्" पढ़ा जायगा ।

(8) पैराग्राफ 9 की छठी पंक्ति में "निधी" के स्थान पर "निधि पढ़ा जायगा ।

(9) पृष्ठ 2158 पर अन्तिम से पहली पंक्ति में "पहने" के स्थान पर "पहले" पढ़ा जायगा ।

(10) पृष्ठ 2159 पर पहली पंक्ति में "जाते" के स्थान पर "जाने" पढ़ा जायगा ।

(11) उसी पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति में अन्तिम शब्द "व्यक्तियों" से पहले "उक्त" शब्द जोड़ा जायगा ।

(12) उक्त पंक्ति के बाद एक पंक्ति छोड़कर दी गई तालिका के कालम 3 में "आय" के स्थान पर "आयु" पढ़ा जायगा ।

(13) उसी तालिका के कालम 4 में " ी रकम" के स्थान पर "की रकम" पढ़ा जायगा ।

(14) पृष्ठ 2160 पर दूसरी पंक्ति में "भूितलक्षी" के स्थान पर "भूतलक्षी" पढ़ा जायगा ।

(15) उसी पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति में "व्यक्त" के स्थान पर "व्यक्ति" पढ़ा जायगा ।

(16) उसी पैराग्राफ की छठी पंक्ति में "साहाय्यि की" के स्थान पर "साहाय्यिकी" पढ़ा जायगा ।

(17) उसी पैराग्राफ की सातवीं पंक्ति में "रकम से सम्बन्ध में" के स्थान पर "रकम के सम्बन्ध में" पढ़ा जायगा ।

(18) उसी पंक्ति में "अ य" के स्थान पर "आय" पढ़ा जायगा ।

(19) उसी पैराग्राफ की नवी पंक्ति में "साहाय्यिकी" के स्थान पर "साहाय्यिकी" पढ़ा जायगा ।

[सं० 335/फा० सं० 133(82)/70—टी० पी० एल०]

आर० आर० खोसला, सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971